eligible to the entitlement of legal services under this Act unless the concerned Authority has reason to disbelieve such affidavit.

CHAPTER V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Grants by the Central Government

14. The Central Government shall, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Central Authority, by way of grants, such sums of meney as the Central Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

National Legal Aid Fund

15. 1. The Central Authority, shall establish a fund to be called the National Legal Aid Fund and there shall be credited thereto-

(a) all sums of money given as grants by the Central Government under section 14;

(b) any grants or donations that may be made to the Central Authority by any other person for the purposes of this Act;

(c) any amount received by the Central Authority under the orders of any court or from any other source.

2. The National Legal Aid Fund shall be applied for meeting-

(a) the cost of legal services provided under this Act including grants made to State Authorities;

(b) the cost of legal services provided by the Supreme Court Legal Services Committee;

(c) any other expenses which are required to be met by the Central Authority.

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

14. केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित विधि में किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुदान के रूप में उतनी धनराशि संदत्त करेगी जितनी केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने के लिए ठीक समझे।

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि

15.1 केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा और उस निधि में निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी, अर्थात् :-

(क) धारा 14 के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदत्त सभी धनराशि,

(ख) कोई ऐसा अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को दिए जाएं,

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई रकम।

2. राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित विधिक सेवाओं के खर्चे, जिसके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण को दिए गए अनुदान भी है,

(ख) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च,

(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति केन्द्रीय प्राधिकरण से अपेक्षित है।

State Legal Aid Fund

16. 1. A State Authority shall establish a fund to be called the State Legal Aid Fund and there shall be credited thereto-

(a) all sums of money paid to it or any grants made by the Central Authority for the purposes of this Act;

(b) any grants or donations that may be made to the State Authority by the State Government or by any person for the purposes of this Act;

(c) any other amount received by the State Authority under the orders of any court or from any other source.

2. A State legal Aid Fund shall be applied for meeting-

(a) the cost of functions referred to in section 7;

(b) the cost of legal services provided by the High Court Legal Services Committee;

(c) any other expenses which are required to be met by the State Authority.

District Legal Aid Fund

17. 1. Every District Authority shall establish a fund to be called the District Legal Aid Funds and there shall be credited thereto -

(a) all sums of money paid or any grants made by the State Authority to the District Authority for the purpsoses of this Act;

(b) any grants or donations that may be made to the District Authority by any person, with the prior approval of the State Authority, for the purpose of this Act;

(c) any other amount received by the District Authority under the orders of any court or from any other source.

राज्य विधिक सहायता निधि

16.1. राज्य प्राधिकरण, राज्य विधिक सहायता निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त सभी धनराशि या दिए गए अनुदान,

(ख) कोई ऐसे अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण को, राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाये,

(ग) राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्य स्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।

2. राज्य विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) धारा 7 में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चे,

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च,

(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति राज्य प्राधिकरण से अपेक्षित है।

जिला विधिक सहायता निधि

17.1. प्रत्येक जिला प्राधिकरण, जिला विधिक सहायता निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को संदत्त धनराशि या दिए गए अनुदान,

(ख) कोई ऐसे अनुदान या संदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण को दिए जाएं,

2. A District Legal Aid Fund shall be applied for meeting :-

   (a) the cost of functions referred to in sections 10 and 11-B,

   (b) any other expenses which are required to be met by the District Authority.

Accounts and audit

18. 1. The Central Authority, State Authority or the District Authority (hereinafter referred to in this section as, "the Authority", as the case may be, shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the income and expenditure acount and the balance-sheet in such form and in such manner as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

2. The accounts of the Authorities shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payabale by the Authority concerned to the Comptroller an Auditor General of India.

3. The Comptroller and Auditor General of India and any other person appointed by him in connection with the auditing of the accounts of an Authority under this Act shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the auditing of the Government accounts and, in particular, shall have the right, to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authorities under this Act.

(ग) जिला प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।

2. जिला विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) धारा 10 और धारा 11 ख में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चे,

(ख) कोई अन्य व्यय जिन्हें जिला प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है।

लेखा और संपरीक्षा

18. 1. यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "प्राधिकरण" कहा गया है) उपयुक्त लेखे, और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और एक वार्षिक लेखा विवरण जिसके अन्तर्गत आय और व्यय लेखा तथा तुलनपत्र भी है, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाएं।

2. प्राधिकरण के लेखा की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाएगी जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय संबंधित प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन, किसी प्राधिकरण के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सरकार के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में, और विशिष्टतया उन्हें बहियों, लेखाओं के संबंधित प्रमाणकों और दस्तावेजों तथा कागजातों को पेश किए जाने की मांग करने का और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

4. The accounts of the Authorities, as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report there on, shall be forwarded annually by the Authorities to the Central Government or the State Governments, as the case may be.
5. The Central Government shall cause the accounts and the audit reprot received by it under sub-section (4) to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of Parliament.
6. The State Government shall cause accounts and the audit reprot received by it under sub-section (4) to be laid, as soon as may be after they are received, before the State Legislature.

CHAPTER VI

LOK ADALATS

Organisation of Lok Adalats

19. 1. Every State Authority or District Authority or the Supreme Court Legal Services Committee or every High Court Legal Services Committee or, as the case may be, Taluk Legal Sevices Committee may organise Lok Adalats at such intervals and places and for exercising such jurisdiction and for such areas as it thinks fit.

2. Every Lok Adalat organised for an area shall consist of such number of :-

(a) serving or retired judicial officers; and

(b) Other persons,

of the area as may be specified by the State Authority or the District Authority or the Supreme Court Legal Services Committe or the High Court Legal Services Committee, or as the case may be, the Taluk Legal Services

4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस निमित उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यथा प्रमाणित, प्राधिकरण का लेखा उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।
5. केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
6. राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 6

लोक अदालत

लोक अदालतों का आयोजन

19. 1. यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अन्तरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीक समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी।

2. किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने :-

(क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, और

(ख) अन्य व्यक्तियों,

से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।